3/यो0स०क०-21/2022 50

बिहार सरकार
समाज कल्याण विभाग

पत्र संख्या-

स्वीकृत्यादेश
(संख्या/2026-27)

प्रेषक,

योगेश कुमार सागर भा०प्र०से०,
अपर सचिव,

सेवा में,

महालेखाकार,
बिहार, पटना।

पटना, दिनांक -15.4.2026

विषय:- **वितीय वर्ष 2026-27 में मुख्यमंत्री महिला सशक्तिकरण छत्र योजना के अन्तर्गत मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के संचालन हेतु राज्य योजना मद में रू० 275.00 लाख (दो करोड़ पचहत्तर लाख) मात्र के व्यय की स्वीकृति।**

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि समाज कल्याण विभाग अन्तर्गत महिलाओं के सर्वागीण विकास एवं सशक्तिकरण, उद्यमिता विकास तथा उनके जीवन में गुणात्मक सुधार करने के लिए मुख्यमंत्री महिला सशक्तिकरण छत्र योजना कार्यान्वित है। वितीय वर्ष 2026-27 में मुख्यमंत्री महिला सशक्तिकरण छत्र योजना अन्तर्गत मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के विभिन्न घटकों में रू० 275.00 लाख (दो करोड़ पचहत्तर लाख) मात्र के व्यय की स्वीकृति निम्न प्रकार दी जाती है-

(राशि रू.लाख में)

क्र0	योजना का नाम	विपत्र कोड	विषय शीर्ष	स्वीकृत राशि
1	2	3	5	6
1	मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना – सामान्य घटक	(51-2235021030109)	0109.31.06	200.00
	मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना – विशेष घटक	(51-2235027890107)	0107.31.06	50.00
	मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना – जनजातीय क्षेत्र उप योजना	(51-2235027960123)	0123.31.06	25.00
***योग:-* (दो करोड़ पचहत्तर लाख)**				**275.00**

2 सक्षम कार्यालय के अन्तर्गत डी०बी०टी० सेल द्वारा विकसित ई-सुविधा पोर्टल के माध्यम से मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के लाभार्थियों को राशि का हस्तांतरण डीबीटी के माध्यम से सीधे उनके खाते में किया जायेगा।

3. मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना हेतु स्वीकृत राशि में से 1 (एक) प्रतिशत की राशि प्रशासनिक मद में व्यय किया जायेगा।

4. स्वीकृत राशि की निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, संयुक्त निदेशक, सामाजिक सुरक्षा निदेशालय, बिहार, पटना होंगे। इसके नियंत्री पदाधिकारी निदेशक, सामाजिक सुरक्षा निदेशालय है।

5. उक्त स्वीकृत राशि के विरूद्ध सामाजिक सुरक्षा निदेशालय द्वारा निर्गत आवंटनादेश के आधार पर ही राशि की निकासी एवं व्ययन किया जायेगा। इस कार्यक्रम के कार्यान्वयन हेतु बिहार वितीय नियमों का पालन करने की जिम्मेवारी संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।

6. राशि की निकासी एवं व्ययन वित विभाग के पत्रांक 12888/वि० दिनांक 03.12.2024, 236/वि० दिनांक 09.03.2026, 2956/वि० दिनांक 25.03.2026, 314/वि० दिनांक 01.04.2026 एवं समय-समय पर निर्गत अन्य अनुदेशो/परिपत्रों के अनुसार किया जायेगा।

7. स्वीकृत्यादेश पर संचिका संख्या-3/यो0स०क०-21/2022 के टिप्पणी पृष्ट संख्या-**19**/टि0 पर दिनांक-**15.04.2026** को आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।

8. यह स्वीकृत्यादेश संचिका संख्या-3/यो0स०क०-21/2022 के टिप्पणी पृष्ट संख्या-**20**/टि0 पर दिनांक-**15.04.2026** को सचिव, समाज कल्याण विभाग के अनुमोदनोपरान्त निर्गत की जा रही है।

9. यह चालू योजना है। अतः महालेखाकार, बिहार से प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

विश्वासभाजन
15/4/26

(योगेश कुमार सागर)
अपर सचिव।

ज्ञापांक- 3/यो0स०क०-21/2022 /......50......../दिनांक- 15.4.2026

प्रतिलिपि -महालेखाकार (लेखापरीक्षा) बिहार, पटना/अपर मुख्य सचिव, योजना एवं विकास विभाग/संयुक्त सचिव, वित्त विभाग (बजट शाखा)/विशेष कार्य पदाधिकारी, समाज कल्याण विभाग (बजट शाखा)/निदेशक, सामाजिक सुरक्षा निदेशालय/निदेशक, समाज कल्याण निदेशालय/निदेशक, महिला एवं बाल विकास निगम/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी/वरीय प्रशासी पदाधिकारी, सक्षम/निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, सामाजिक सुरक्षा निदेशालय/सभी सहायक निदेशक, जिला सामाजिक सुरक्षा कोषांग/सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

15/4/26
अपर सचिव।

ज्ञापांक- 3/यो0स०क०-21/2022 /......50......../दिनांक- 15.4.2026

प्रतिलिपि –कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना/कोषागार पदाधिकारी, विश्वेश्वरैया भवन, पटना तथा सभी जिला कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

15/4/26
अपर सचिव।

ज्ञापांक- 3/यो0स०क०-21/2022 /......50......../दिनांक- 15.4.2026

प्रतिलिपि–विभागीय आई०टी० मैनेजर, को सूचनार्थ एवं स्वीकृत्यादेश की प्रति विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

15/4/26
अपर सचिव।